क्रम-संख्या-210(घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 18 अक्टूबर, 2016

आश्विन 26, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1

संख्या 1587/छः-पी0एस0-1-2016-622(1)-2007

लखनऊ, 18 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-81

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके अं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमामवली उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2-उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3-जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग- दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(च) 'पुलिस महानिदेशक' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(झ) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से है ;

(ड) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी **परिशिष्ट–'क'** में दी गयी है:

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–(1) साधारण श्रेणी में सेवा की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(एक) पचास प्रतिशत, आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी–उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवा आदि की भर्ती के लिए आयोग द्वारा एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है।

(दो) पचास प्रतिशत, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के ऐसे निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष हेतु रिक्तियों का दो प्रतिशत भाग सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर आयोग के माध्यम से बिना पारी पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों में से भरा जायेगा जिन्होंने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किया हो :–

(क) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात् विश्व चैम्पियनशिप में, चाहे किसी दल में या व्यक्तिक खेल में, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो,

अथवा

(ख) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ओलम्पिक खेलों में अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो,

अथवा

(ग) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात् एशियन खेलों/ एशियन चैम्पियनशिप में, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत पदक अवश्य प्राप्त किया हो,

अथवा

(घ) यदि उसने खेलों में देश का सर्वोच्च पुरस्कार या उत्कृष्टता "अर्जुन पुरस्कार"/"राजीव गॉधी खेल रत्न" अर्जित किया हो। यदि नागरिक पुलिस या सशस्त्र पुलिस का कोई निरीक्षक पदोन्नति के लिए दिये गये मानदण्डों को पूर्ण करता है तो ऐसी दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुतियों के साथ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा आयोग की सहमति से बिना पारी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यदि इस परन्तुक के अधीन बिना पारी पदोन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियॉ इस नियमावली में विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

(2) ज्येष्ठ वेतनमान, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक और अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी के पदों पर भर्ती, इस नियमावली के नियम 17 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह और भी कि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा, और

ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी :–किसी अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8–सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10–सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जांय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वमित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता / मानक

13–(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करें :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी के मामले चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यार्थियों के चिकित्सा परीक्षा के संबंध में विनियम परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

भाग–पॉच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया

15–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र, आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेंगा और उतने अभ्यर्थियों को जितने वह उचित समझें, नियुक्ति के लिये संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग की सामान्य नीति के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों को व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणीः–प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य–विवरण और नियम ऐसे होंगे जैसे कि समय–समय पर सरकार की सहमति से आयोग द्वारा विहित किये जांय।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों से, जिनके नाम चयन सूची में हैं, समय–समय पर सरकार द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का यथास्थिति छाती और ऊँचाई की माप के लिए विहित शारीरिक मानक का भी परीक्षण किया जायेगा। चिकित्सा परीक्षा में जो अभ्यर्थी असफल पाये जायेंगे उन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियॉ अगले चयन के लिए अग्रेनीत कर दी जायेंगी।

(6) नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी की निगरानी में अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियॉ अगले चयन के लिए अग्रेनीत कर दी जायेंगी।

साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16–साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी संयुक्त ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

ज्येष्ठ वेतनमान, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक और अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी हेतु चयन की प्रकिया

17–(1) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु चयन की प्रकिया :–

(क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु चयन समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप–अधीक्षकों में से किया जायेगा जिन्होंने चयन के दिनांक को आवंटन के वर्ष से 6 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो और साधारण श्रेणी में भी चार वर्ष पूर्ण कर लिया हो और उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में स्थायी भी कर दिये गये हों।

(ख) उपर्युक्त पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(एक)	सरकार के मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(दो)	गृह विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव	–	सदस्य
(तीन)	कार्मिक विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव उत्तर प्रदेश	–	सदस्य
(चार)	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जन–जातियों और वर्गो, जिनका प्रतिनिधित्व चयन समिति में नहीं है का एक अधिकारी जो सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो, चयन समिति में सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) विभागाध्यक्ष समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों जो उचित समझे जाय, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(घ) चयन समिति उपर्युक्त खण्ड (ग) निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ड़) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों को एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(च) चयन सूची, चयन के दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी।

(2) अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक और अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी के पदों हेतु चयन की प्रकियाः–

(क) अपर पुलिस अधीक्षक हेतु चयन, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली–1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो हेतु चयन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अपर पुलिस अधीक्षकों में से किया जायेगा, जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सोलह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ग) अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक हेतु चयन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सररकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अपर पुलिस अधीक्षकों, विशेष श्रेणी–दो में से किया जायेगा, जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में इक्कीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(घ) अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतम श्रेणी हेतु चयन समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली,1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अपर पुलिस अधीक्षकों, विशेष श्रेणी–एक में से किया जायेगा, जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में बाईस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ड़) उपर्युक्त पदों पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(एक) सरकार के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(दो) गृह विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव	सदस्य
(तीन) कार्मिक विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव	सदस्य
(चार) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व चयन समिति में नहीं है, का एक अधिकारी, जो सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो,चयन समिति में सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

(च) नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों, जो उचित समझे जांय, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(छ) चयन समिति उपर्युक्त खण्ड (च) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ज)चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(झ) चयन सूची, चयन के दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

संयुक्त चयन सूची

18–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, प्रशिक्षण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19–(1) उप–नियम(2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों। सीधी भर्ती से होने वाले किसी व्यक्ति से नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जायेगी। ऐसे व्यक्ति का चयन निरस्त किया जा सकता है अथवा वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा/प्रशिक्षण को ग्रहण करने में असफल रहता है।

(2) जहॉ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहॉ नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति, चयन में अवधारित किया जाय अथवा जैसे कि उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) उप–नियम (2) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि को संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21–(1) उप–नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उप–नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

प्रशिक्षण

22–(1) नियम 15 के अधीन भर्ती व्यक्ति से अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान यह अपेक्षा की जायेगी कि वह समय–समय पर सरकार द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करे।

(2) नियम 16 अथवा 17 के अधीन पदोन्नति द्वारा किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह विभागाध्यक्ष द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण को प्राप्त करे।

(3) सेवा का प्रत्येक सदस्य अपनी सेवा के दौरान ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेगा जैसा कि समय–समय पर सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

ज्येष्ठता

23–सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

24–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैं:–

(एक) साधारण श्रेणी–
रू0 15600–39100(वेतन बैण्ड–3)+रू0 5400/–(ग्रेड वेतन)

(दो) ज्येष्ठ वेतनमान–
रू0 15600–39100(वेतन बैण्ड–3)+रू0 6600/–(ग्रेड वेतन)

(तीन) अपर पुलिस अधीक्षक–
रू0 15600–39100(वेतन बैण्ड–3)+रू0 7600/–(ग्रेड वेतन)

(चार) अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो
रू0 37400–67000(वेतन बैण्ड–4)+रू0 8700/–(ग्रेड वेतन)

(पॉच) अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक
रू0 37400–67000(वेतन बैण्ड–4)+रू0 8900/–(ग्रेड वेतन)

(छः) अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी
रू0 37400–67000(वेतन बैण्ड–4)+रू0 10000/–(ग्रेड वेतन)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपलब्ध

पक्ष समर्थन

26–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

27–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

28–जहॉ सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या उसे शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह कि जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

व्यावृत्ति

29–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
देबाशीष पाण्डा
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट–"क"

[नियम 4(2) देखिए]

सेवा में पदों की स्वीकृत संख्या और उसमें सम्मिलित पदों की श्रेणियॉ निम्नलिखित है:–

(एक)	अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी	–	10
(दो)	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक	–	27
(तीन)	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो	–	67
(चार)	अपर पुलिस अधीक्षक, (02 पद आस्थागित रखे जायेंगे)	–	182
(पॉच)	ज्येष्ठ वेतनमान (पुलिस उपाधीक्षक)	–	250
(छः)	साधारण श्रेणी (पुलिस उपाधीक्षक) (35 पद आस्थगित रखे जायेंगे)	–	756

परिशिष्ट–"ख"

[नियम 13(2) देखिए]

(क) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा हेतु विनियम।

1–सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में किसी नियुक्ति हेतु उपयुक्त के रूप में उत्तीर्ण किये जाने वाले किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीकि दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. अभ्यर्थियों की परीक्षा में शारीरिक मानकों की निम्नलिखित तालिका मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त की जाये।

(ख)			
अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (सेंटीमीटर में)	सीना (सेंटीमीटर में)	
		बिना फुलाये	फुलाये
(एक) केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु– अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	165	84	89
(दो) अनुसूचित जनजातियां	160	79	84
(तीन) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु– अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	152	लागू नहीं	
(चार)अनुसूचित जनजातियां	147		
(पॉच) सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन	40 किग्रा.		

3–अभ्यर्थियों की ऊँचाई की माप निम्नलिखित रूप में ली जायेगी:–

वह अपने जूते उतार देगा और उसे मानक के सहारे इस प्रकार से खड़ा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हों और उसके शरीर का वजन उसकी एड़ी पर पड़े और पैर के बाहरी हिस्से के अंगूठे पर नहीं हो। वह अपने शरीर को ढीला रखकर इस प्रकार बिल्कुल सीधा खड़ा होगा कि उसकी एड़ियॉ, पिंडलियॉ, नितम्ब और कन्धे मानक से स्पर्श कर रहे हों और उसकी ठुड्डी को इस प्रकार झुकाया जायेगा कि सिर का शीर्ष स्तर समस्तर पट्टी के नीचे आ जाय और ऊँचाई की माप सेंटीमीटर में अभिलिखित की जायेगी।

4–अभ्यर्थियों के सीने की माप निम्नलिखित रूप में ली जायेगी:–

उसे इस प्रकार खड़ा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हुए हों और उसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हों। फीते से सीने के घेरे की माप इस प्रकार ली जायेगी कि फीते का ऊपरी सिरा पीछे की तरफ स्कन्धास्थियों के निचले कोनी को स्पर्श करता हो और इसका निचला सिरा सामने के स्तनाग्रो के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करें। तत्पश्चात् बाहों को स्तनाग्रों के सामने तक ढीली हालत में लटकाया जायेगा। तत्पश्चात् बाहों को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि वे बगल में ढीली हालत में लटकती रहें और इस बात की सावधानी बरती जाय कि कंधे न तो उचकाये जांय अथवा न ही उन्हें पीछे की ओर झुकाया जाय जिससे कि फीता अपने स्थान से हट जाये । तदोपरान्त अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जायेगा कि वे कई बार गहरी सांस लें और सीने के अधिकतम् फैलाव को सावधानीपूर्वक नोट कर लिया जायेगा ।

5–दृष्टि के पैनेपन के निर्धारण के लिए परीक्षा में दो परीक्षण सम्मिलित हैं:–पहला दूर के लिये, दूसरा नजदीक के लिए। स्नेलेन्स प्रकार के परीक्षण का प्रयोग दूर दृष्टि के परीक्षण हेतु, बिना चश्मे के 20 फीट की दूरी पर और अभ्यर्थी द्वारा चयनित किसी दूरी पर बिना चश्मे के नजदीक दृष्टि के परीक्षण हेतु किया जायेगा। परीक्षण में मार्गदर्शन हेतु किसी अभ्यर्थी की दृष्टि के न्यूनतम तीक्ष्णता के मानक निम्नलिखित के रूप में प्रयुक्त किये जायेंगे :–

मानक – एक

(क)	दाहिनी आँख	बायीं आँख
दूर दृष्टि :	v = 6 / 6	v = 6 / 6
नजदीक दृष्टि :	रीड्स 0,6	रीड्स 0,6

मानक – दो

	अच्छी आँख	खराब आँख
दूर दृष्टि :	v = 6 /6	v, बिना चश्में के = 6/60 से कम नहीं; और चश्में के साथ सुधार के पश्चात् = 6/24 से कम नहीं।
नजदीक दृष्टि :	रीड्स 0,6	रीड्स 1

मानक – तीन

	अच्छी आँख	खराब आँख
दूर दृष्टि :	v, बिना चश्में के = 6/24 से कम नहीं; और चश्में के साथ सुधार के पश्चात् = 6 / 6 से कम नहीं।	v, बिना चश्में के = 6/24 से कम नहीं; और चश्में के साथ सुधार के पश्चात् = 6/12 से कम नहीं।
नजदीक दृष्टि :	रीड्स 0.8	रीड्स 1

(ख) प्रत्येक आँख में हाथ के संचालन द्वारा यथापरीक्षित दृष्टि के पूर्ण क्षेत्र अवश्य होने चाहिए।

(ग) भैंगापन यां आँखों या पलकों के किसी विकृति स्थिति या वृद्धि या आवृत्ति के खतरे के लिये उत्तरदायी दोनों आँखों के कारण अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) प्रत्येक आँख का परीक्षण अलग–अलग किया जायेगा और परीक्षण के दौरान पलकें पूर्णतया अवश्य खुली रखनी चाहिए ।

(ङ) मूल रंगों को पहचानने में असमर्थता को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नहीं माना जायेगा, लेकिन इस तथ्य को कार्यवाही में अभिलिखित किया जायेगा और अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा।

(च) नियुक्ति हेतु सभी अभ्यर्थियों की दृष्टि की तीक्ष्णता का कोंण कार्यवाही में निम्नलिखित रीति में प्रविष्ट किया जायेगाः–

वी0आर0....., चश्में सहित....., रीड्स.....

वी0एल0....., चश्में संहित....., रीड्स.....

(छ) गंभीर असामान्यता के प्रकरणों में नेत्र रोग विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जानी चाहिए।

6–मूत्र की (जॉचकर्ता की उपस्थिति में निकाले गये) जॉच की जानी चाहिए और परिणाम को अभिलिखित किया जाना चाहिए।

7–निम्नांकित अतिरिक्त बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए –

(क) अभ्यर्थी के प्रत्येक कान में सुनने की क्षमता अच्छी हो और उसके कान में बीमारी का कोई लक्षण न हो किसी उम्मीदवार को, जो दस फुट की दूरी से पीठ के पीछे से जोर से की गई फुसफुसाहट को सुन सकता हो, परीक्षक को स्वस्थ मानना चाहिए । उसके प्रत्येक कान का पृथक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे कान को कुछ समय के लिये तेल से भीगी रूई से बंद कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) यह कि उसकी वाक् क्षमता हकलाहट रहित हो ।

(ग) यह कि उसके दॉत अच्छी स्थिति में हों, और वह जहॉ कहीं प्रभावी चर्वण के लिये आवश्यक हो उसके पास दन्तावली हो। (अच्छी तरह से भरे हुए दॉत स्वस्थ माने जायेंगे।)

(घ) यह कि उसका वक्ष पूर्ण विकसित हो और वक्ष का फुलाव पर्याप्त हो तथा उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हों।

(ङ) यह कि उसमें उदरीय रोग का कोई लक्षण न हो।

(च) यह कि उसको हार्निया न हो।

(छ) यह कि वह अण्डवृद्धि गंभीर स्तर के मोतीक्षरा, स्फीत शिरा या बवासीर से ग्रसित न हो।

(ज) यह कि उसके अंग, हाथ और पैर पूर्ण सुगठित और विकसित हों तथा उसके समस्त जोड़संधियॉं अपने आप और अच्छी तरह से गति करती हों।

(झ) यह कि वह किसी प्रकार के असाध्य त्वचा रोग से पीड़ित न हो ।

(ञ) यह कि उसमें जन्मगत कुरचना का दोष न हो।

(ट) यह कि उसमें तीक्ष्ण जीर्ण रोग को दर्शाने वाले किसी विकृत गठन के लक्षण न हों।

(ठ) यह कि उसके शरीर पर सही टीकाकरण के चिन्ह हों ।

जब कोई विकृति पाई जाती है तो इसे प्रमाण–पत्र पर अवश्य लिखा जाय और स्वास्थ्य परीक्षक को अपना मत बताना चाहिये कि क्या कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में, जो अभ्यर्थी से अपेक्षित हो, कोई बाधा पड़ेगी या नहीं। यदि दशा शल्य चिकित्सक द्वारा उपचारणीय हो तो ऐसा बताया जाना चाहिये।

टिप्पणीः–यह विनियम अभ्यर्थियों की सुविधा और उनके होने वाले अपेक्षित शारीरिक मानक में उनको योग्य बनाने की सम्भावना को सुनिश्चित करने के क्रम में प्रकाशित किया जा रहा है परन्तु , यह स्पष्ट रूप से समझा जाये कि अभ्यर्थी का शारीरिक रूप से अनर्ह होना चिकित्सा मण्डल के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा और यह विवेक इन विनियमों द्वारा इस विषय में सीमित नहीं है।

(ख) चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षण किये गये अभ्यर्थियों द्वारा पूरा किये जाने वाले स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र का प्रपत्र।

चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्षण

————————————पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला विवरण

चिकित्सा परिषद द्वारा अपनी जांच किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी नीचे मॉंगा गया विवरण अवश्य भरें और उसमें संलग्न घोषणा–पत्र पर उक्त परिषद के समक्ष हस्ताक्षर अवश्य करें।

1–अपना पूरा नाम लिखें (स्पष्ट अक्षरों में)

2–जन्म स्थान लिखें

3–अपनी जन्म–तिथि और आयु लिखें

4–अपने परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें :–

पिता की आयु, यदि जीवित हों तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी आयु तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत भाइयों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण

माता की आयु, यदि जीवित हों तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या, उनकी आयु तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत बहनों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण

5–क्या आपका कोई निकट सम्बन्धी क्षयरोग [तपेदिक (यक्ष्मा), कण्ठमाला, कैंसर, दमा, मूर्च्छा, मिरगी, पागलपन अथवा किसी अन्य स्नायु रोग] से ग्रस्त हुआ है?

6–क्या आप कभी विदेश गये हैं, यदि हॉं तो कहॉं और कितनी अवधि के लिये और तब से कितना समय बीत चुका है?————————

7–क्या आपने कभी नौसेना, थल सेना, वायु सेना अथवा किसी सरकारी विभाग में कार्य किया है?————————

8–क्या आपकी जॉंच कभी (क) जीवन बीमा के लिये अथवा/और (ख) किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी अथवा राज्य चिकित्सा परिषद, सिविल अथवा सैनिक चिकित्सा परिषद द्वारा की गयी है? यदि हॉं तो पूरा विवरण दीजिये और क्या परिणाम हुआ सहित?————————

9—क्या आपको कभी——————————

(क) चेचक हुआ है, आवर्तक (विसर्गी) अथवा कोई अन्य ज्वर हुआ है, गिल्टियॉ बढ़ी हैं अथवा उसमें पीप पड़ा है, मुँह से खून निकला है, दमा हुआ है, फेफड़ों में सूजन, फुफ्फसावरण—शोथ (प्लूरिसी) हुआ है, हृदय रोग हुआ है, दौरे पड़े हैं, गठिया हुआ है, उष्डुकपुच्छशोथ हुआ है, मिरगी हुयी है, पागलपन अथवा अन्य स्नायु रोग हुआ है, कान बहा है अथवा कान का अन्य रोग हुआ है, उपदंश हुआ है, सूजाक हुआ है, अथवा——————

(ख) कोई अन्य रोग हुआ है अथवा चोट लगी है, जिसके कारण शैय्याग्रस्त होना पड़ा हो अथवा जिसके कारण चिकित्सा अथवा शल्यक्रिया सम्बन्धी उपचार आवश्यक हो गया हो अथवा——————

(ग) कोई शल्यक्रिया हुयी है, अथवा——————

(घ) सक्रिय सेवा में किसी समय किसी बीमारी से ग्रस्त रहे हैं, चोट लगी है अथवा क्षति हुयी है? ——————

10—क्या आपको अन्त्रवृद्धि है ?——————

11—क्या आपके प्रत्येक अण्डशिरावृद्धि हुई है, सूजी हुई शिरा वाली नसें हैं अथवा बवासीर है? ——————

12—क्या आपके प्रत्येक ऑख की दृष्टि अच्छी है? (ऐसे अभ्यर्थी, जो कि चश्मा पहनते हैं, से अपेक्षा की जाती है कि अपने चश्में का नुस्खा साथ लायें।)——————

13—क्या आपको प्रत्येक कान से अच्छी तरह सुनायी देता है?——————

14—क्या आपको कोई जन्मजात अथवा जन्मोत्तर विकृति, दोष अथवा विरूपता है?——————

15—आपको पिछला टीका कब लगा था?——————

16—क्या आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई और मामला भी है, जो उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत न आया हो, जिसे कि चिकित्सा परिषद को सूचित किया जाना चाहिये?——————

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

(चिकित्सा परिषद के समक्ष हस्ताक्षर किये जांय)

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सभी उत्तर, जहॉ तक मेरा विश्वास है, सही और ठीक हैं।

मैं चिकित्सा परिषद के समक्ष उन समस्त परिस्थितियों को पूरी तरह प्रकट कर दूंगा, जिनकी मुझे जानकारी है और जो कि उस पद के लिये जिसका कि मैं अभ्यर्थी हूँ, मेरे स्वास्थ्य और योग्यता से सम्बन्धित हैं।

मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूँ कि किसी सूचना को जानबूझकर छिपाने से मुझे नौकरी न मिलने या उसे छोड़ने का, यदि प्रदान की जाती है, जोखित उठाना पड़ सकता है।

——————

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

——————की उपस्थिति में

——————

चिकित्सा परिषद का सदस्य

स्थान——————
दिनांक ——————

चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर	अभ्युक्ति
1.	क्या पिछले पृष्ठ पर दिये गये घोषणा–पत्र पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं ?		
2.	क्या जन्मजात या बाद में होने वाली विकृति के कोई लक्षण हैं ?		
3.	क्या उसका शरीर क्षतचिन्ह से मुक्त हैं और क्या वह अपने सभी अंगों का पूरी तरह संचालन कर पाता है ?		
4.	क्या निश्चित रूप से शारीरिक बनावट के विकृत होने अथवा उसकी किसी आदत के कोई संकेत मिलते हैं ?		
5.	क्या पिछले सात वर्षों के भीतर अभ्यर्थी को संतोषजनक रूप से टीका लगाया गया है?		
6.	क्या उसमें स्नायु तंत्र के रोग के कोई लक्षण हैं ?		
7.	क्या उसे अच्छी तरह सुनाई पड़ता है ?		
8.	क्या उसे अच्छी तरह दिखाई पड़ता है ?		
9.	जहॉ तक स्पष्ट उच्चारण का सम्बन्ध है क्या वह अच्छी तरह बोल सकता है ?		
10.	क्या हड्डियों, जोड़ों या उससे सम्बन्धित शरीर के किसी भाग में रोग के कोई लक्षण हैं ?		
11.	क्या वह कोई गम्भीर चर्म रोग से ग्रस्त है ?		
12.	क्या उसका ह्रदय और धमनी स्वस्थ है ?		
13.	क्या अभ्यर्थी के बवासीर, अण्डकोष वृद्धि, शिरावृद्धि या अन्य नाड़ी सम्बन्धी रोग है ?		
14.	क्या उसके सांस लेने से सम्बन्धित अंगों में किसी रोग के कोई संकेत मिलते हैं ?		
15.	क्या उसके पाचक अंगों के रोग के कोई लक्षण हैं ? क्या उसके दांत गंभीर रूप से खराब हैं अथवा किसी और प्रकार से रोग ग्रस्त हैं ?		
16.	क्या अभ्यर्थी अन्त्रवृद्धि से मुक्त है ?		
17.	क्या जनन सम्बन्धी अंगों के रोग के कोई लक्षण मिलते हैं ?		
18.	क्या उसका मूत्र (1) अल्ब्युमिन (2) शर्करा से मुक्त है? क्या उसका मूत्र अन्यथा सामान्य है ?		
19.	क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी है जिससे कि ..... के दक्षतापूर्वक कार्य निर्वहन करने के लिये उसके अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना हो ?		
20.	क्या आप अभ्यर्थी को दक्षतापूर्वक और निर्बाध रूप से ..... के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये सभी प्रकार से योग्य समझते हैं ?		

दिनांक .....

.....

हस्ताक्षर,
अध्यक्ष, चिकित्सा परिषद।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1587-VI-P.S.-1–2016-622(1)-2007, dated October 18, 2016:

No. 1587-VI-P.S.-1–2016-622(1)-2007

Dated Lucknow, October 18, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Police Service.

THE UTTAR PRADESH POLICE SERVICE RULES, 2016

PART- I- GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Police Service Rules, 2016".

(2)They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Police Service is a State Service comprising Group 'A' and Group 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backwards Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means the Governor;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) 'Director General of Police' means the Director General of Police, Uttar Pradesh;

(g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(i) 'Head of the Department' means the Director General of Police, Uttar Pradesh;

(j) 'mber of the Service' ans a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement f these rules to a post in the cadre of the Service;

(k) 'her backward classes of citizens' ans the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(l) 'service' means the Uttar Pradesh Police Service;

(m) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART -II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in Appendix 'A' :

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART- III- RECRUITMENT

Source of recruitment

5. (1) Recruitment to the Service in the Ordinary Grade shall be made from the following sources :–

(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of competitive examination.

NOTE-A Combined Competitive Examination is held by the Commission for recruitment to the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service, Uttar Pradesh Finance and Accounts Service etc.

(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and are also confirmed in the said Post :

Provided that two percent of the vacancies for a year of recruitment may be filled by out of turn promotion through the Commission on the specific recommendation of the Government from amongst such Police Inspectors/Company Commanders of Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards :-

(a) After having been selected to the Indian team should have participated in World Championship, either in a team or individual event, which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place,

or

(b) After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place,

or

(c) After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Games/ Asian Championship which is recognized by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver Medal,

or

(d) If he/ she has earned country's highest award or excellence in sports "Arjuna award"/ "Rajeev Gandhi Khel Ratna". If any Inspector of Civil Police or Armed Police qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal would be forwarded to the Government by the Director General of Police, Uttar Pradesh with clear recommendation and the out of turn promotion will be awarded by the State Government with the concurrence of the Commission. If such person or sufficient number of such persons are not available for out of turn promotion under this proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule.

(2) Recruitment to the posts in Senior Scale, Additional Superintendant of Police, Additional Superintendant of Police, Special Grade-II, Additional Superintendant of Police, Special Grade-I and Additional Superintendant of Police, Higher Grade shall be made by promotion as per provisions of rule 17 of these rules.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART- IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :–

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE-A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment must possess a Bachelor's Degree of a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.

Preferential qualification

9. A candidate who has :–

(i) served in the Territorial Army for a minimum period to two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness/Standards

13. (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board:

Provided that the examination by a Medical Board shall not be necessary in case of a candidate recruited by promotion.

(2) Regulations regarding the medical examination of candidates to be appointed by direct recruitment to the Service are given in Appendix-'B' :

PART V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment through the Commission

15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the names of the candidates shall be arranged in accordance with the general policy of the Commission. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

NOTE-The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission with the concurrence of the Government from time to time.

(5) The candidates, whose names are in the select list will be required to appear for Medical Examination as per procedure prescribed by the Government from time to time. During Medical Examination the candidates shall also be examined for physical standards prescribed for height and chest measurement, as the case may be. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit and such vacancies shall be carried forward for next selection.

(6) Before issuing appointment orders, character verification of the candidates shall be completed under the supervision of the appointing authority. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

Procedure for recruitment by promotion through the Commission to Ordinary Grade

16. Recruitment by promotion to the Ordinary Grade shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time, from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed police as per their combined seniority list to be prepared by Head of Department.

Procedure for selection to Senior Scale, Additional Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police, Special Grade II, Additional Superintendent of Police, Special Grade I, and Additional Superintendent of Police, Higher Grade

17. (1) Procedure for selection to Senior Scale:

(a) Selection to the Senior Scale shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst such substantively appointed Deputy Superintendents of Police who have completed six years service from the year of allotment on the date of selection and have also completed four years in Ordinary Grade and are also confirmed in the Uttar Pradesh Police Service.

(b) The Selection Committee for promotion to above post shall be constituted as follows :–

(i) Chief Secretary to the Government- *-Chairman*

(ii) Principal Secretary or Secretary to the Government in Home Department- *-Member*

(iii) Principal Secretary or Secretary to the Government in Personnel Department- *-Member*

(iv) Director General of Police, Uttar Pradesh *-Member*

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens then an officer not below the rank of Special Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the Selection Committee.

(c)The Head of the Department shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place it before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(d)The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in clause (c) above and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(e)The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointing authority.

(f)The select list shall be effective for one year from the date of selection.

(2) Procedure for selection to the posts of Additional Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police, Special Grade-II, Additional Superintendent of Police, Special Grade-I and Additional Superintendent of Police, Higher Grade :

(a) Selection to the Additional Superintendent of Police shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst substantively appointed officers who have completed twelve years service on the first day of July of the year of selection.

(b) Selection to the Additional Superintendent of Police, Special Grade-II shall be made on the recommendations of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst such substantively appointed Additional Superintendents of Police who have completed sixteen years service in the Uttar Pradesh Police Service on the first day of July of the year of selection.

(c) Selection to the Additional Superintendent of Police, Special Grade-I shall be made on the recommendations of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst such substantively appointed Additional Superintendents of Police, Special Grade-II who have completed twenty one years service in the Uttar Pradesh Police Service.

(d) Selection to the Additional Superintendent of Police, Higher Grade shall be made on the recommendations of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst such substantively appointed Additional Superintendents of Police, Special Grade-I who have completed twenty two years service in the Uttar Pradesh Police Service.

(e) The Selection Committee for promotion to above posts shall be constituted as follows :-

(i) Chief Secretary to the Government- *-Chairman*

(ii) Principal Secretary or Secretary to the Government in Home Department- *- Member*

(iii) Principal Secretary or Secretary to the Government in Personnel Department- *- Member*

(iv) Director General of Police, Uttar Pradesh *- Member*

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens then an officer not below the rank of Special Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the Selection Committee.

(f) The appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place it before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(g) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in clause(f) above and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(h)The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointing authority.

(i)The select list shall be effective for one year from the date of selection.

Combined Select list

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage in maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART – VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION, TRAINING AND SENIORITY

Appointment

19 . (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 15,16,17 or 18, as the case may be. A person recruited directly shall be required to report for training within the time specified for this purpose in the appointment letter. The selection of such person may be cancelled or he may lose his seniority if he fails to join the service/training within the specified time.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list in prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 18.

Probation

20. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3)A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4)The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the entered period of probation if–

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Training

22. (1) A person recruited under rule 15, during his probation shall be required to successfully complete the training as prescribed by the Government from time to time.

(2) Every officer appointed on a post after promotion under rules 16 and 17 shall be required to undergo such training as decided by Head of Department.

(3) Every member of the service shall undergo such training programme during his service as decided by the Government or Head of Department from time to time.

Seniority

23. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance for the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART - VII - PAY ETC.

Scales of pay

24. (1)The scales of pay admissible to persons appointed to the various grades of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2)The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows :

(i) Ordinary Grade -

Rs. 15,600-39,100 (Pay Band-3) + Rs. 5400/- (Grade Pay)

(ii) Senior Scale -

Rs. 15,600-39,100 (Pay Band-3) + Rs. 6600/- (Grade Pay)

(iii) Additional Superintendant of Police -

Rs. 15,600-39,100 (Pay Band-3) + Rs. 7600/- (Grade Pay)

(iv) Additional Superintendant of Police, Special Grade-II

Rs. 37,400-67,000 (Pay Band-4) + Rs. 8700/- (Grade Pay)

(v) Additional Superintendant of Police, Special Grade-I

Rs. 37,400-67,000 (Pay Band-4) +Rs. 8900/- (Grade Pay)

(vi) Additional Superintendant of Police, Higher Grade

Rs. 37,400-67,000 (Pay Band-4) + Rs. 10,000/- (Grade Pay)

Pay during probation

25. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination Part I and second increment after two years service when he has completed the probationary period, passed departmental examination Part II, undergone the prescribed training and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment, unless the appointing authority directs otherwise.

(2)The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment, unless the appointing authority directs otherwise.

(3)The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

PART - VIII - OTHER PROVISIONS

Canvassing

26. No recommendation, either written or oral, other than that those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

27. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of Service -

28. Where, the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that the Commission shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Provided that where a rule has been framed in consultation with the commission, that body shall be consulted before the requirements or the rule are dispensed with or relaxed.

29. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard. Savings

By order,
DEBASISH PANDA,
Pramukh Sachiv.

APPENDIX- 'A'

[See rule 4(2)]

The sanctioned strength of the service and the kind of posts included therein are as follows:-

(i)	Additional Superintendent of Police, Higher Grade	**- 10**
(ii)	Additional Superintendent of Police, Special Grade-I	**- 27**
(iii)	Additional Superintendent of Police, Special Grade-II	**- 67**
(iv)	Additional Superintendent of Police (02 posts held in abeyance)	**- 182**
(v)	Senior Scale (Deputy Superintendent of Police)	**- 250**
(vi)	Ordinary Grade (Deputy Superintendent of Police) (35 posts held in abeyance)	**- 756**

APENDIX-'B'
[See rule 13(2)]

(A) Regulations for the medical examination of candidates for appointment by direct recruitment to the Uttar Pradesh Police Service.

1. To be passed as fit for an appointment under Government in the Uttar Pradesh Police Service candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

2. (a) The following table of physical standards is to be used as a guide in the examination of candidates.

(b)

Category of candidates	Height (in cms)	Chest (in cms)	
		Unexpanded	Expanded
(i) For Male candidates only General, Other Backward Classes of Citizens and Scheduled Castes	165	84	89
(i) Scheduled Tribes	160	79	84
(ii) For Female candidates only General, Other Backward Classes of Citizens and Scheduled Castes	152	Not Applicable	
(iii) Scheduled Tribes	**147**		
(iv) Minimum Weight for female candidates of all categories	**40 KG**		

3. The candidate's height will be measured as fallows :

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes of outer sides of the feet. He will stand erect without rigidity, and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeter.

4. The candidate's chest will be measured as follows: He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angle of the shoulder-blade behind, and its lower edge the upper parts of the nipples in front. The arms will then be lowered to hang loosely by the nipples in front. The arms will them be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upward of backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times, and the maximum expansion of the chest will be carefully noted.

5. The examination for determining the acuteness of vision includes two tests: one for distance, the other for near vision. Snellen's test types will be used for the test for distant vision, without glasses at a distance of 20 feet and of the test for near vision, without glasses, at any distance selected by the candidate. The standards of the minimum acuteness of vision which will be used for guidance in the examination of a candidate are as follows:

(a)		**Standard-I**	
		Right Eye	***Left Eye***
Distant vision	:	V=6/6	V=6/6
Near vision	:	Reads 0,6	Reads 0,6
		Standard-II	
		Better Eye	***Worse Eye***
Distant vision	:	V=6/6	V, without glasses=not below 6/60; and after correction with glasses = not below 6/24.
Near vision	:	Reads 0,6	Reads 1
		Standard-III	
		Better Eye	***Worse Eye***
Distant vision	:	V, without glasses= not below 6/24*; and after correction with glasses = not below 6/6	V, without glasses= not below 6/24*; and after correction with glasses = not below 6/12
Near vision	:	Reads 0,8	Reads 1

(b) Each eye must have a full field of vision as tested by hand movements.

(c) Squint or any morbid condition of the eyes or of the lids or of either eye liable to the risk of aggravation or recurrence, will cause the rejection of the candidate.

(d) Each eye will be examined separately and the lids must be kept wide open during the test.

(e) Inability to distinguish the principal colors will not be regarded as a cause for rejection, but the fact will be noted in the proceedings and the candidate will be informed.

(f) The degree of astuteness of vision of all candidates for appointments will be entered in the proceedings in the following manner:

V.R.=.....; with glasses=.....; Reads.....

V.L.=.....; with glasses=.....; Reads.....

(g) In cases of serious abnormality the opinion of an ophthalmic specialist should be obtained.

6. The urine (passed in presence of the Examiner) should be examined and the result recorded.

7. The following additional points should be observed :

(a)That the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign if disease of the ear :

A candidate who can hear a forced whisper at a distance of ten feet with his back towards the examiner should be considered fit. Each of his ears should be tested separately, the other being plugged with oiled wool for time being.

(b) That his speech is without impediment ;

(c) That his teeth are in good order, and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound).

(d) That his chest is well formed and his chest expansion sufficient, and that his heart and lungs are sound.

(e) That there is no evidence of any abdominal disease.

(f) That he is not ruptured.

(g) That he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles.

(h) That his limbs, hands, and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints.

(i) That he does not suffer from any inveterate skin disease.

(j) That there is no congenital malformation of defect.

(k) That he does not bear traces of acute of chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) That he bears marks of efficient vaccination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate. If the condition is remediable by operation it should be so stated.

NOTE- These regulation are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. But it must be clearly understood that the rejection of a candidate as physically unfit will be at the absolute discretion of the Medical Board and that this discretion is in no respect limited by these regulations.

(B) Form of declaration as to health to be completed by candidates examined by a medical board

MEDICAL EXAMINATION BY A MEDICAL BOARD

Statement by candidates for appointment as _____

The candidate must make the statement required below prior to his examination by the Medical Board, and must sign the declaration appended thereto in the presence of that board.

1. State your name in full (in BLOCK letters) _____
2. State place of birth _____
3. State your age and date of birth _____
4. Furnish the following particulars concerning your family :

Father's age, if living, and state of health	Father's age at death and cause of death	Number of brothers living their ages and state of health	Number of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age, if living, and state of health	Mother's age at death and cause of death	Number of sisters living their ages and state of health	Number of sisters dead, their ages at and cause of death

5. Have any of your near relations suffered from tuberculosis (consumption, serofula, cancer, asthma, fits, epilepsy, insanity, or any other nervous disease) ?

6. Have you ever been abroad, where, and for what period, and how long since ?

7. Have you ever served in the Navy, Army, Air Force, or in any Government Department ?

8. Have you ever been examined
(a) for Life Insurance or/and (b) by any Government Medical Officer or State, Medical Board, Civil or Military ? If so, state details, and with what result ?

9. Have you ever ----
(a) had smallpox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, inflammation of lungs, pleurisy, heart disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis, epilepsy, insanity or other nervous disease, discharge from or other disease of the ear, syphilis, gonorrhoea, or

(b) had any other disease or injury which required confinement to bed or medical or surgical treatment, or

(c) undergone any surgical operation, or

(d) suffered from any illness, wound or injury sustained while on active service

10. Have your rupture ?

11. Have you varicocele, varicose veins, or piles ?

12. Is your vision in each eye good ? (Candidates who wear spectacles are requested to bring the prescription of their glasses with them.)

13. Is your hearing in each ear good ?

14. Have you any congenital or acquired malformation, defect or defomity?

15. When were you last vaccinated ?

16. Is there any further matter concerning your health not covered by the above questions which should be communicated to the Medical Board ?

Declaration by Candidate

(To be signed in presence of the Medical Board)

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

I willfully reveal to the Medical Board all circumstances within my knowledge that concern my health and fitness for the appointment for which I am a candidate.

I am fully aware that by willfully suppressing any information I shall incur the risk of not obtaining the appointment, or of losing it, if granted.

_____

Candidate's signature.

Signed in presence of -----

_____

Member of Medical Board,

Place_____

Date_____

Report of Medical Board

Sl.No.	Questions	Answers	Remarks
1.	Has the declaration on the preceding page been signed by the candidate?		
2.	Are there any evidences of malformation-congenital or required ?		
3.	Is he free from scars and has he the full use of all his limbs ?		
4.	Are there any indications of a decided cachectic or diathetic state of constitution ?		
5.	Has the candidate been satisfactorily vaccinated within the last seven years ?		
6.	Are there any signs of disease of the nervous system ?		
7.	Is the hearing good ?		
8.	Is the sight good ?		
9.	Is the speech good as regards articulation ?		
10.	Are there any signs of disease of the bones, joints or parts connected therewith ?		
11.	Is there any important affection of the skin ?		
12.	Are the heart and arteries healthy ?		
13.	Has the candidate haemorrhoids varicocele, or other affections of veins ?		
14.	Is there any evidence of disease of the respiratory organs ?		
15.	Are there any signs of disease of the digestive organs ? Are the teeth seriously decayed or otherwise defective?		
16.	Is the candidate free from rupture ?		
17.	Is there any indication of disease of the genital organs ?		

Sl.No.	Questions	Answers	Remarks
18.	Is the urine free from (1) albumen, (2) sugar ? .. .. Is the urine otherwise normal ?		
19.	Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of the duties of an----------?		
20.	Do you consider the candidate in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of the duties of an----------? ..		

Date .....

Signature of Chairman of Medical Board.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 533 राजपत्र(हि0)–2016–(1222)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 13 सा0 गृह पलिस–2016–(1223)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।